

# कार्य का नाम :-- जनपद टिहरी गढवाल के अन्तर्गत हनुमान मंन्दिर से स्यालसी गौरण मोटर मार्ग के का नव निर्माण (ल0-3.400)

## वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण – पत्र

ग्राम पंचायत का नाम :- गौरण तहसील :- धनौल्टी, जिला टिहरी गढवाल।

#### अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी गढवाल के अन्तर्गत हनुमान मन्दिर से स्यालसी गौरण मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 0.000 हैं0 आरक्षित वन भूमि 0.8775 हैं0 सिविल सोयम भूमि 0.0000 हैं0 वन फ्लायत भूमि 0.00 हैं0 अर्थात् कुल 0.8775 हैं0 वनभूमि का लोoनिoविo, थत्यूड के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं बन मंत्र्ग्रलय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत गौरण, द्वारा विनाक रा-०9-2015 को सम्पन्न उपरोक्त ग्रम पंचायतों की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वनभूमि के लेक्क्रन्ध में अनापित्त प्रमाण निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत के भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्राम पंचायन जासीयों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों की परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम पंचायत ह्वारा सर्वेसम्मित से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि उपरोक्त ग्राम पंचायत के ग्रामवासियों को उक्त वनभूमि अधिशासी अभियन्ता लोठनिठविठ, थत्यूड प्रयोक्ता एजेन्सी को हनुमान मन्दिर से स्यालसी गौरण मोट्यू मोर्ग निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।



#### प्रपत्र - 23

## कार्य का नाम :—जनपद टिहरी गढवाल के अन्तर्गत हनुमान मंन्दिर से स्यालसी गौरण मोटर मार्ग के का नव निर्माण (ल0—3.400)

#### वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापित्त प्रमाण - पत्र

ग्राम पंचायत का नाम :— स्यालसी तहसील :— धनौल्टी, जिला टिहरी गढवाल।

#### अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी गढवाल के अन्तर्गत हनुमान मन्दिर से स्यालञ्जी गौरण मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 0.000 हैं0 आरक्षित वन भूमि 0.8775 हैं0 सिविल सोयम भूमि 0.0000 हैं0 वन पंचायत भूमि 0.00 हैं0 अर्थात् कुल 0.8775 हैं0 वनभूमि का लोoनिoविo, थत्यूड के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वेन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत स्थालसी, द्वारा दिनांक .................................. को सम्पन्न उपरोक्त ग्राम पंचायतों की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वनभूमि के सम्बन्ध में अनापित प्रमाण निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत् वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी भाम पंचायत वासीयों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों की परप्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम पंचायत हुँग्रेश सर्वसम्मित से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि उपरोक्त ग्राम पंचायत के ग्रामवासियों को बक्त वनभूमि अधिशासी अभियन्ता लोठनिठविठ, थत्यूड प्रयोक्ता एजेन्सी को हनुमान मन्दिर से स्यालसी गौरण मींहर मुर्ग निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम प्रधान



## कार्य का नाम :--जनपद टिहरी गढवाल के अन्तर्गत हनुमान मंन्दिर से स्यालसी गौरण मोटर मार्ग के का नव निर्माण (ल0-3.400)

### कार्यालय उप जिलाधिकारी धनोल्टी अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण –पत्र

### उपखण्ड स्तरीय समिति धनोल्टी

उपखण्ड धनोल्टी परिक्षेत्र में राज्य योजना के अन्तर्गत हनुमान मंन्दिर से स्यालसी गौरण मोटर मार्ग के नव निर्माण (0.000 है0 आरक्षित वनभूमि 0.8775 है0, सिविल कुल भूमि ( 0.8775 है0) का लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता ऐजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परापत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील धनोहिंग) के दिनांक को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन तिवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री देवानन्द शर्मा, उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षा में आयोजित की गई । बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है :-

1.	श्री देवानन्द शर्मा	उपजिल्लाधिकारी	अध्यक्ष
2.	श्री नीरज कुमार शर्मा	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य
3.	श्री शूरवीर सिंह नेगी	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य/सचिव
4	श्रीमती मन्नी देवी	बी०डी०सी० क्षेत्र पंचायत	सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की पूर्वन मोननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद टिहरी गढवाल में राज्य योजना के अन्तर्गत हनुमान मंन्दिर से स्थानिसी गौरण मोटर मार्ग का नव निर्माण परियोजना हेतु 0.8775 हैं0 वनभूमि लो०नि०वि० थत्यूड प्रयोक्ता ऐजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया ग्रामसभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है । उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मित से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धि नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए

F \Hanuman Mandir to Siyalsi Gouran motar marg.do

जानकारी कसे माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा / आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्रामसभा / पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा भी अनापत्ति जारी की जा सकती है। बैठक में सर्वसम्मित से उपखण्ड धनोल्टी परिक्षेत्र के अन्तर्गत अगलाड – थत्यूड मोटर मार्ग के क्यारी से मसरास मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु 0.8775 हैं0 वनभूमि लोoनिoविo थत्यूड प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम अधिकारी से अनुमित प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी ।

> उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष उपखण्ड) स्तरीय वन अधिकार समिति तहसील धनोल्टी जनपद टिहरी गढवाल।

प्रतिलिपि :- जिलाधिकारी, टिहरी गढवाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यचाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति तहसीलं धनोल्टी जनपद टिहरी गढवाल।

## कार्य का नाम :—जनपद टिहरी गढवाल के अन्तर्गत हनुमान मंन्दिर से स्यालसी गौरण मोटर मार्ग के का नव निर्माण (ल0—3.400)

### उप जिला अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद टिहरी गढवाल के जौनपुर ब्लॉक के अन्तर्गत हनुमान मंन्दिर से स्यालसी गौरण मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 0.8775 हैं0 वनभूमि के गैर वानिकी कार्यों हेतु लोoनिoविo थत्यूड प्रयोक्ता एजेंसी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या 11–9/98—एसoसीo दिनांक 05.02.2013 के द्वारा सडक निर्माण, नहर निर्माण, पारेषण लाईन, ओoएफoसीo केबिल पाईप लाईन बिछाने आदि परियोजनों को भारत सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों से मूक्त के दिया गया है। भारत सरकार के उक्त आदेश के कम में प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित भूमि परियोजना विशेष के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह ( Primitive Tribal Groups) है पूर्व कृषि समुदाय (Primitive Agricultural Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

सहायक अभियन्ता अस्थाई खण्ड लो०नि०वि० थत्यूड (टि०ग०) अधिशासी अभियन्ता अस्थाई खण्ड लाविन्वविक थत्यूई (दिव्याव)

तहसीलदार धनोल्टी उपजिलाधिकारी धनोल्टी



## कार्य का नाम :-- जनपद टिहरी गढवाल के अन्तर्गत हनुमान मंन्दिर से स्यालसी गौरण मोटर मार्ग के का नव निर्माण (ल0-3.400)

### जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद टिहरी गढवाल के जौनपुर ब्लॉक के आर०के०के० मोटर मार्ग से हनुमान मंन्दिर से स्यालसी गौरण मोटर मार्ग के (लम्बाई 3.400 कि०मी०) हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव (आरक्षित वनभूमि 0.00 है० तथा सिविल सोयम भूमि 0.8775 है० कुल प्रस्तावित भूमि क्षेत्रफल 0.8775 है०) के गैर वानिकी कार्यो हेतु लो०नि०वि० थत्यूड प्रयोक्ता ऐजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। सारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र सं० 11–9/98–एफ०सी० दि० 05.02.13 के द्वारा रेखाकर (Liner) प्रयोजना यथा – सडक निर्माण, नहर निर्माण, पारेषण लाईन, ओ०एफ०सी० केबिल प्राईप लाईन बिछाने आदि प्रयोजनों के प्रकरणों को वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों से मुक्त कर दिया गया है। भारत सरकार के उक्त आदेश के कम में प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित भूमि परियोजना विशेष के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Prenditive) ribal Group) व आदिकालीन कृषि समुदाय (Premitive Agricultural Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो हो।

किनि०अभि० अ०ख०, लो०नि०वि०, थत्युड। सहायक अभि० अ०ख०, लो०नि०विध्र थत्युड।

अश्विशासी अभियन्ता अ०ख०, लो०नि०वि०, थत्यूड।

तहसीलदार धनोल्टी उपजिलाधिकारी धनोल्टी

जिलाधिकारी टिहरी गढवाल नई टिहरी

Dated .....

#### FORM-4

(For Liner Projects)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector New Tehri

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN						
In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter						
No. 11-9/98-FG (pt) dated 3 August 2009 wherein the MOEF issued guidelines on submission of						
evidences for having initialed and completed the process of settlement of rights under the Scheduled						
Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006(FRA' for short)on						
the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MOEF's letter dated 5 February						
2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects it is certified that <b>0.8775</b>						
hectares of forest land proposed to be diverted in favor of forest department (E.E. Try. Divi P.W.D						
Thatyur ) for Hanuman Mandir to Siyalsi Gouran Motor Road Scheme (purpose for diversion of forest						
land) in Tehri Garhwal district falls within jurisdiction of Styalst Gouran village (s) in Dhanolty Tehsils.						
It is further certified that.						
<ul> <li>(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.8775 Hectare of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest rights committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed in annexure.</li> <li>(b) The diversion of the forest land for facilities managed by the government as required under section</li> </ul>						
3(2) of the FRA have been completed and the Gram sabhas have given their consent to it,  (c) The proposal does not involve recognized rights of primitive tribal groups and pre-agricultural						
communities.						
Enclosure. As above						
Executive Engineer. Februar S.D.M. District Collector						
Ty.Div.PWD Thatyur Dhanolty Dhanolty Tehri Garhwal						



It is Further certified that Minutes fo Hanuman Mandir to Siyalsi Goouran Motor Road scheme regarding FRA is as following.

SI. No.		Remark
(a)	The complete process for identification and settlement of	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging
	rights under the FRA had been carried out for the entire 0.8775	to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.
	hectares of forest area proposed	
	for diversion. A copy of record of all consultations and meeting	
	of the forest Right committee (S) Gram Sabha sub Division	
	Level committee (S) and District	
	Level Committee are enclosed as annexure.	
(b)	The Diversion of forest land for	
		there are no habitants belonging
	section 3(2) of the FRA have	to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. No
	been completed and the Gram	objection cerfificate concerned
	Sabha have given consent to it.	village regarding construction of aforesaid Motor road is attached.
(c)	The proposal does not involve	Yes copy of records attached as
	recognized rights of primitive tribal groups and pre-	there are no habitants belonging to scheduled tribes and other
	tribal groups and preagricultural communities.	traditional forest Dwellers.

जिला पंचायत सदस्य टिहरी गढवाल। समाज कल्याण अधिकारी टिहरी गढवाल। प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी वन प्रभाग मसूरी।

(युगल किशोर पन्त) जिला अधिकारी टिहरी गढवाल।



It is Further certified that Minutes fo Hanuman Mandir to Siyalsi Goouran Motor Road scheme regarding FRA is as following.

SI. No.		Remark
(a)	The complete process for identification and settlement of	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging
	rights under the FRA had been carried out for the entire 0.8775	to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.
	hectares of forest area proposed	
	for diversion. A copy of record of all consultations and meeting	
	of the forest Right committee (S) Gram Sabha sub Division	
	Level committee (S) and District	
	Level Committee are enclosed as annexure.	
(b)	The Diversion of forest land for	
		there are no habitants belonging
	section 3(2) of the FRA have	to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. No
	been completed and the Gram	objection cerfificate concerned
	Sabha have given consent to it.	village regarding construction of aforesaid Motor road is attached.
(c)	The proposal does not involve	Yes copy of records attached as
	recognized rights of primitive tribal groups and pre-	there are no habitants belonging to scheduled tribes and other
	tribal groups and preagricultural communities.	traditional forest Dwellers.

जिला पंचायत सदस्य टिहरी गढवाल। समाज कल्याण अधिकारी टिहरी गढवाल। प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी वन प्रभाग मसूरी।

(युगल किशोर पन्त) जिला अधिकारी टिहरी गढवाल।